न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/586
मुकदमा नम्बर 194/2024 दर्ज दिनांक– 18.12.2024

1. आन्नद सिंह पुत्र भंवर सिंह
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी अम्बेडकर नगर तन चिराना, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 03.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नं. 33 रकबा 0.05, खसरा नं. 50 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 51 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 573/50 रकबा 0.42 है0 का राजस्व नक्शा रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जावें तथा भूमि खसरा नं. 33 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 51 रकबा 0.04 है0 जिसे प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी,सी, बिन्दूओं से प्रदर्शित किया गया है, के दक्षिण से पश्चिम डी, वाई बिन्दुओं के अनुसार राजस्व नक्शे में रास्ते का अंकन किया जावे। राजस्व नक्शे को सही व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/6439 दिनांक 18.02.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट नक्शे की तरमीम दुरूस्त की जानी उचित बताई है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नं. 33 रकबा 0.05, खसरा नं. 50 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 51 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 573/50 रकबा 0.42 है0 का राजस्व नक्शा रकबे के मुताबिक दुरूस्त किया जावें तथा भूमि खसरा नं. 33 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 51 रकबा 0.04 है0 जिसे प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी,सी, बिन्दूओं से प्रदर्शित किया गया है, के दक्षिण से पश्चिम डी, वाई बिन्दुओं के अनुसार राजस्व नक्शे में रास्ते का अंकन किया जावे। राजस्व नक्शे को सही व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र मय शपथ पत्र व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा,तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/6439 दिनांक18.02.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 03.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुंनू

8/4/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

दिनांक 18-2-25

क्रमांक /भू अ /2025/ 6439

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : –उनवानी आनन्द सिंह बनाम तहसीदार नवलगढ मु.न. 194/2024 अ.धारा 136 मे तथ्यात्मक रिपॅार्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : –श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट /तहरीर / 24 / 767दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी आनन्द सिंह बनाम तहसीदार नवलगढ मु.न. 194/2024 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट पटवारी हल्का चिराना से प्राप्त हुई है । जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ

संलग्न : – मूल रिपॅार्ट

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब,

नवलगढ़।

विषय: उनवानी प्रकरण आनन्द सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ़ प्र.नं. 194/2024 अं.धा 136 में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत

प्रसंग:- कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़ के आदेश क्रमांक (भू.अ.) 5892 दिनांक 3.1.25

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम अम्बेडकर नगर के ख.नं. 33, 51, 50, $\frac{574}{50}$ एवं $\frac{573}{50}$ के सम्बन्ध में रेकार्ड एवं मौका निरीक्षण की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है जो निम्न प्रकार से है।

1. खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0500 एवं ख.नं. 51 रकबा 0.0400 आनन्द सिंह जितेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत के नाम से दर्ज रेकार्ड है जिसका कुल रकबा 0.0900 हे० है। लेकिन मौके एवं नक्शा शीट में भिन्नता है नक्शा शीट के नक्शा छोटा बना हुआ है। एवं ख.नं. 51 की आकृति रास्ते के रूप मे है जबकी खातेदारी दर्ज है। नक्शा शीट नाप के रकबा दोनों खसरों का 0.0700 है० ही बनता है

2. खसरा नम्बर $\frac{573}{50}$, $\frac{574}{50}$ एवं 50 का विभाजन होकर नई तरमीम की गई है जो पूर्व के मलकी शामलाती जमीन थी जिसमें से अपने हिस्से की जमीन आनन्द सिंह वगैरह ने बेचान करदी है जिसकी विभाजन तरमीम सही नहीं है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

3. ख.नं. $\frac{573}{50}$ का जमाबन्दी के रकबा 0.4200 दर्ज है जबकी नक्शा शीट माप मे 0.44 एवं मौके पैमाइश 0.44 है।

4. ख.नं. $\frac{574}{50}$ विभाजन के रास्ता काटा गया है जिसकी तरमीम सही नहीं है रास्ते का रकबा 0.0200 है रास्ता हेतु काटा गया है। जबकी नक्शा शीट के माप ज्यादा आ रहा है

अतः ख.नं. 33, 51 का नक्शा जमाबन्दी क्षेत्रफल अनुसार किया जाकर एवं ख.नं. 50 की विभाजन तरमीम को सही किया जाना उचित है

नजरी नक्शा

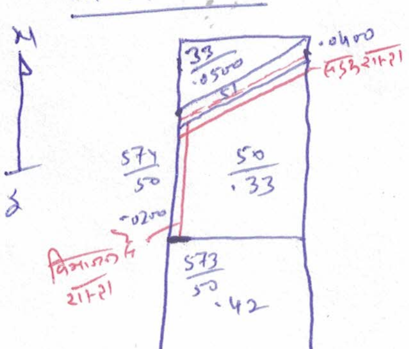

हस्ताक्षर
3/2/2025
प. चिराना

8/512

नकल - नक्शा

ग्राम - अम्बेडकर नगर

प०ह० - चिराना

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

तह० - नवलगढ़

क्रमांक /भू अ /2025/6439 दिनांक 18-2-25

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

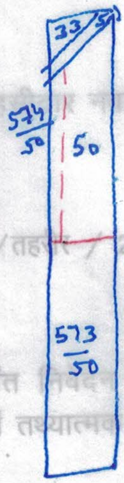

विषय : –उनवानी आनन्द सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 194 / 2024 अ.धारा 136 मे तथ्यात्मक रिपॅार्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : –श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट /तहसील / 24 / 767दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी आनन्द सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 194 / 2024 में तथ्यात्मक रिपॅार्ट पटवारी हल्का चिराना से प्राप्त हुई है । जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ

संलग्न : – मूल रिपॅार्ट

पटवारी
3/2/2025
प. चिराना